

राजस्थान सरकार

कार्यालय, परियोजना निदेशक (पीपीपी), सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर

क्रमांक :- 450

दिनांक :- 10/11/23

श्रीमान उप वन संरक्षक,
अजमेर।

विषय :- Development of Beawar Masuda Goyala Read Section of SH-26A From Km 2+550 to Km. 22+400 in the state of Rajasthan का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण संख्या FP/RJ/ROAD/21332/2016 Area 4.9696 ha में प्रस्तावित कार्यालय पत्रांक (EDS) बाबत

संदर्भ :- आपका कार्यालय पत्रांक EDS दिनांक 14.11.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है :-

1. उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति Development of Highways under Rajasthan State Highway Investment Program (RSHIP) Trench II के अधीन एशियन विकास बैंक द्वारा जारी की गई है, उपरोक्त हाईवे में किसी भी प्रकार का Bypass एवं Alternative alignment हेतु वित्तीय राशि स्वीकृत नहीं है, इस संबंध में Undertaking दी जा चुकी है।
2. वन क्षेत्र के निकलने वाले डिजाइन चैनेज 8/628 से 10/872 एवं डिजाइन चैनेज 17/647 से 16/509 में वर्तमान में स्थित 7.00 मी. चौड़ी सड़क पर ही TCS-4 एवं TCS-5 के अनुसार रिन्यूवल, ओवरले, पुनः निर्माण एवं ज्यामिती सुधार का कार्य किया जायेगा। (TCS संलग्न)
3. सड़क निर्माण में 7 मी. चौड़ाई में डामर का कार्य किया जायेगा सड़क की Formation Width 12 मी. एवं ज्यामिती सुधार कार्य होने के कारण 16 मी. चौड़ाई में Diversion की आवश्यकता है तदनुसार प्रत्यावर्तन के लिये आवेदन किया गया है।

यह कार्य एशियन डवलपमेंट बैंक से वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है अतः आपसे सादर निवेदन है कि प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने का श्रम करें। जिससे सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(जीवराज रेगर)

परियोजना निदेशक (पीपीपी),
सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर



